Report of the
Society for Social Audit, Accountability and Transparency
Govt. of Rajasthan, Jaipur

15वां वित्त आयोग योजना

सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2021–22, 2022–23

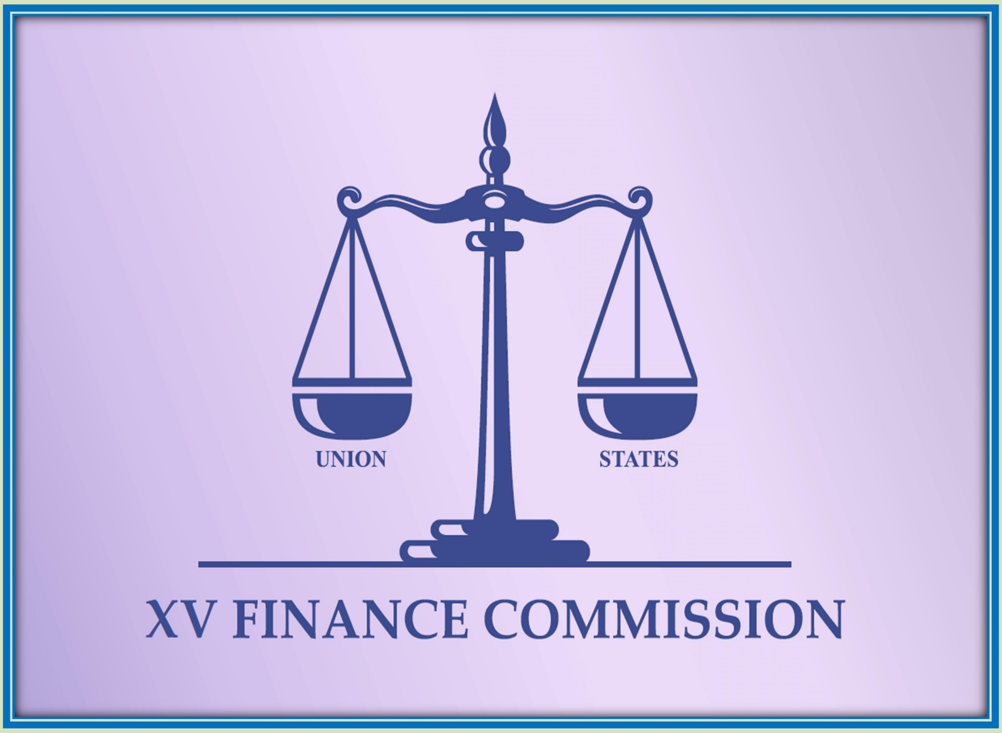

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी, राजस्थान, जयपुर
Email id :dir.socialaudit@rajasthan.gov.in
WebSite: www.socialaudit.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी **(SSAAT)**

15वां वित्त आयोग योजना

वर्ष **: 2021 – 22, 2022 – 23**

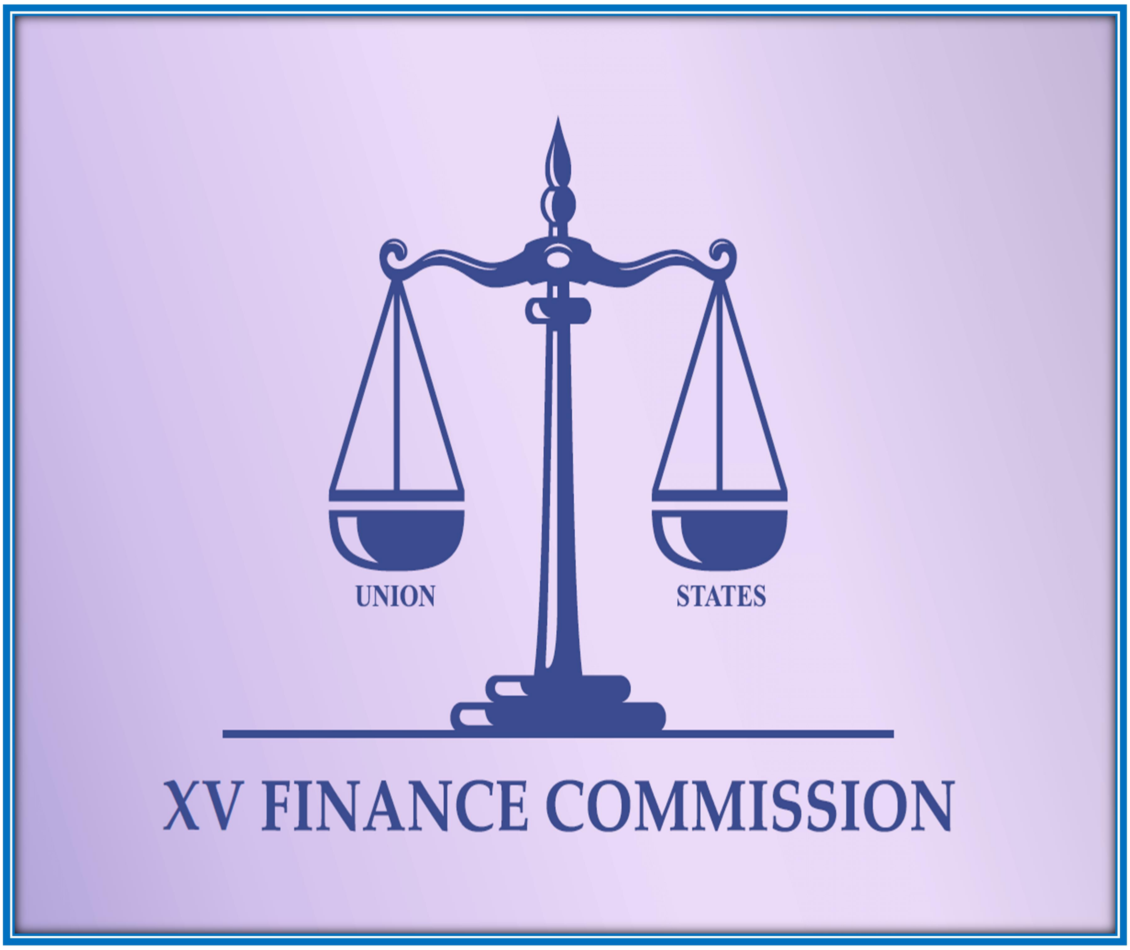

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	सामाजिक अंकेक्षण का परिचय	5-6
2	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का परिचय	7
3	15वां वित्त आयोग योजना	7-10
4	15वां वित्त आयोग अनुदानों के सोशल ऑडिट की आवश्यकता	10-11
5	सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)	11
6	सामाजिक अंकेक्षण प्रकिया	11-12
7	15वां वित्त आयोग योजना के सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य	12-13
8	15वां वित्त आयोग योजना का सामाजिक अंकेक्षण	13
	(i) जिलेवार सामाजिक अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की सूची	14
	(ii) संभागवार सामाजिक अंकेक्षण की सूची	15
	(iii) पंचायतवार अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताऐं	16-19

1. सामाजिक अंकेक्षण का परिचय

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का वास्तविक लाभार्थियों को सम्पूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसायटी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्य परख निगरानी व्यवस्था ही ''सामाजिक अंकेक्षण'' है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शब्दों में "पारदर्शिता" एवं "जवाबदेहिता" लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं– एक अवधारणा के रूप में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता–दोनों के उद्देश्यों की जमीनी स्तर पर पूर्ति करता है। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत स्वैच्छिक संस्था "मज़दूर किसान शक्ति संगठन" द्वारा की गयी, जिसमें सरकारी कार्यों एवं व्यय का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान के भीलवाडा जिले में 2009–10 से प्रारम्भ किया गया। पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के कार्यों की स्थानीय निगरानी का कार्य सौंपा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, ई–गवर्नेंस आदि के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गयी तथा जनता को सरकारी रिकॉर्डों तक पहुँच प्रदान की गयी।

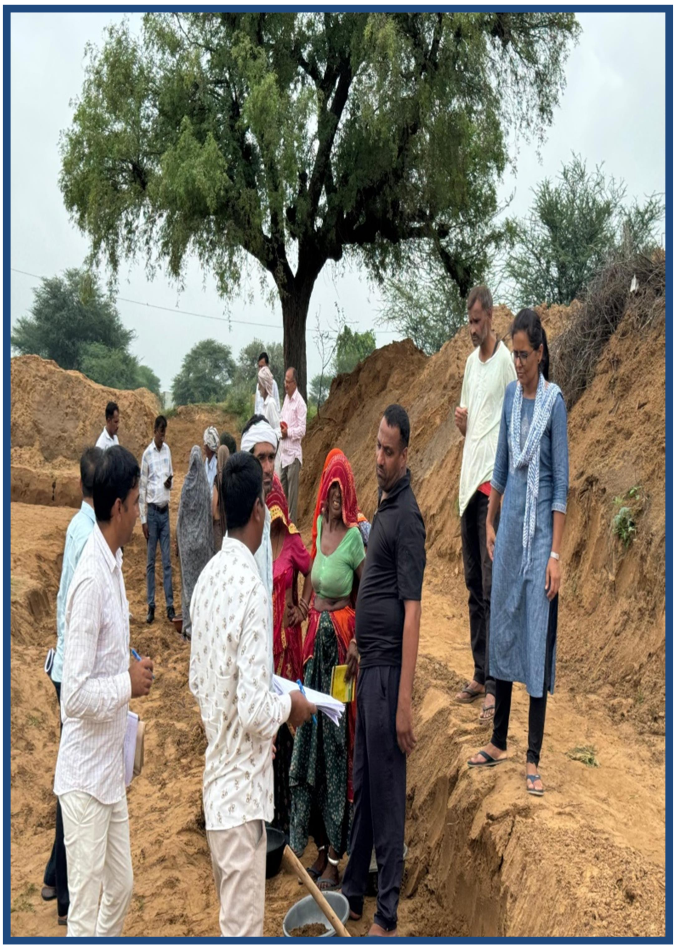

इस हेतु विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने संबंधी निर्देशों का समावेश किया हुआ है ताकि उन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहे हैं, कि समीक्षा जनसाधारण द्वारा होती रहे, समस्त वांछित सूचनायें पूर्ण पारदर्शितापूर्वक उपलब्ध हो सके तथा सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी शासन के सर्वोच्च पदों पर पदासीन अधिकारियों तक सुगमतापूर्वक पहुंचे। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम ऐसा प्रथम राष्ट्रीय कानून है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत् स्वीकार किया गया है।

MGNREGA के अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग योजनाओं के कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में अलग से दिशा–निर्देश जारी किये है।

सोशल ऑडिट की अवधारणा के तहत सूचनाओं को आमजन तक पहुँचाया जाता है, ताकि किसी कार्यक्रम के लिए नीति बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन और मूल्यांकन तक का ब्यौरा पारदर्शी हो सके। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के चरण निम्नानुसार है–

01 सूचनाओं एवं अभिलेखों का संकलन

02 क्षेत्र भ्रमण एवं जांच

03 ड्राफ्ट प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा की बैठक की तैयारी

04 ग्राम सभा की बैठक एवं प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देना

05 प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण एवं फालोअप

06 सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना

2. SSAAT का परिचय

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M13015 /2021 /MGNREGA Vii /pt. दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्री मण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11(8)/ग्रा. वि./नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके./2015 दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी.49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2019 पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। इसकी पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का पंजीकरण राजस्थान पंजीयन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या–28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20.08.2019 है। सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की विधिवत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 19.09. 2019 में प्रकाशित की गई है

वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई– सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। साथ ही वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप महात्मा गांधी नरेगा, मिड–डे–मिल योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अलावा स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

3. 15वां वित्त आयोग योजना

वित्त आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। 15वें वित्त आयोग (चेयर): एन के सिंह ने 2021–26 की अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की।

I. उद्देश्य

वित्त आयोग के गठन का प्रमुख उद्देश्य सभी राज्यों की आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन तथा करों के विभाजन के लिए आवश्यक मानदंडों को अंतिम रूप देना है ।

विभिन्न करों को केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाता है । वित्त आयोग केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बीच एक मौद्रिक कड़ी है और यह केंद्र व राज्य के मध्य संचार को बनाए रखता है ।

यदि देश के समग्र विकास के लिए किसी प्रकार के वित्तीय उन्नयन की आवश्यकता है, तो वित्त आयोग सरकार को इसके बारे में परामर्श देता है।

II. योजना के तहत दिए जाने वाला अनुदान

a. राजस्व घाटा अनुदान
b. क्षेत्र विशेष अनुदान
c. राज्य विशेष अनुदान
d. स्थानीय निकायों को अनुदान
e. आपदा जोखिम प्रबंधन

15वां वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट के अध्याय –7 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 60 प्रतिशत अनुदान बन्ध अनुदान (Tied-Grant) के रूप में जिसका उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वछता के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 40 प्रतिशत अनाबद्ध अनुदान (UnTied-Grant) का उपयोग मूलभूत सेवाओं में सुधार लाने के उपयोग किया जा सकेगा।

अनाबद्ध अनुदान (**UnTied-Grant**) के तहत किये जाने वाले कार्य

1. स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधी गतिविधियां जैसेः– बच्चों के टीकाकरण एवं बच्चों के कुपोषण की रोकथाम।
2. ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और मरम्मत।
3. ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अन्दर तथा अन्तर ग्राम पंचायत में सड़को का निर्माण मरम्मत और रखरखाव।
4. ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अन्दर तथा अन्तर ग्राम पंचायत में पैदल रास्तों (फुटपाथ) का निर्माण और मरम्मत।
5. ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अन्दर तथा अन्तर ग्राम पंचायत में एलईडी स्ट्रीट लाईटस और सोलर लाइटिंग की स्थापना (Installation) मरम्मत और रखरखाव जैसे लागू हो (सौर स्ट्रीट लाइट अलग–अलग पोल या क्रेन्द्रीकृत सौर पैनल प्रणाली हो सकता है)।
6. ग्राम पंचायत में श्मशान के निर्माण मरम्मत और रखरखाव तथा मृतशव दफनाने हेतु कब्रिस्तान के लिए जमीन का अधिग्रहण निर्माण एवं रखरखाव।
7. ग्राम पंचायत के भीतर पर्याप्त और बैडविड्थ वाई–फाई डिजिटल नेटवर्क सेवाएं प्रदान करना।
8. सार्वजनिक पुस्तकालय।
9. बच्चों के पार्क सहित मनोरंजन सुविधाएं।
10. खेल का मैदान।
11. ग्रामीण हाट।
12. खेल व शारीरिक फिटनेस हेतु उपकरण आदि।
13. अन्य कोई बुनियादी सेवाएं जो राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्यविधान के तहत अनिवार्य सुधार/संवर्धित सेवाओं के आवृति व्यय जैसे बिजली के लिए 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर।
14. प्राकृतिक आपदा या महामारी की स्थिति में आवश्यक एवं तत्काल राहत कार्य के प्रबंधन हेतु।
15. सामाजिक अंकेक्षण सहित बाहरी एजेन्सियों द्वारा खातों की लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक व्यय इस अनुदान से वहन किया जा सकता है।

बन्ध अनुदान (Tied-Grant) के तहत किये जाने वाले कार्य

1. पेयजल सम्बन्धी गतिविधियां
2. स्वछता सम्बन्धी गतिविधियां
3. वर्षा जल संचय संबंधी गतिविधियां

राजस्थान राज्य में 15वां वित्त आयोग की योजनाओं हेतु नोडल एजेंसी के रुप में पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार कार्य कर रही है।

4. 15वां वित्त आयोग अनुदानों की सोशल ऑडिट की आवश्यकता

अतीत में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C& AG) ने उल्लेख किया था कि स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही उनके लिए धन के बढ़ते प्रवाह के अनुरूप नहीं है और इसके लिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्य ए.जी. कार्यालयों को सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और अपने लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा के साथ तालमेल तलाशने के लिए भी कहा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सामाजिक अंकेक्षण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इसके अलावा, सामाजिक ऑडिट, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, लोगों को सूचित और शिक्षित करना, परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना लोगों को अपनी जरूरतों और शिकायतों को

व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना, सभी हितधारकों की क्षमता में सुधार करना हैं। 15वां वित्त आयोग अनुदानों का सामाजिक लेखापरीक्षा पंचायतीराज संस्थानों को फीडबैक प्रदान करेगा जिससे कि वे लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के मामले में अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर सकें।

5. सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)

संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय के आदेश दिनांक 15 जून 2022 के अनुसार सभी ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत/जिला पंचायत स्थानीय निकायों में तीन साल में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा की जानी है। इस दिशा में यह भी निर्देश दिये गये कि राज्यों को एक कैलेंडर बनाना चाहिए, ताकि हर साल कुल ग्राम पंचायतों/ब्लॉक पंचायतों/जिला पंचायतों/पारंपरिक निकायों में से 1/3 का सामाजिक ऑडिट किया जा सके। तद्नुसार शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2022 को महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में प्रथम तथा द्वितीय छमाही में हुए कार्यों की माह अक्टूबर 2022 में आयोजित सामाजिक अंकेक्षण के दौरान 15वें वित्त आयोग में हुए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु निर्देश जारी किये गये।

6. सामाजिक अंकेक्षण प्रकिया

सर्वप्रथम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण हेतु वार्षिक कार्ययोजना बनाया जाता है उसके उपरान्त कार्ययोजना के अनुसार माहवार कलैण्डर जारी किया जाता है। तदनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्देशो के अंतर्गत संबंधित पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण दलो का गठन जिसमे एक ब्लाक संसाधन व्यक्ति (बी.आर.पी.) एवं पांच ग्राम संसाधन व्यक्ति (वी.आर.पी.) का गठन किया जाता है।

बी.आर.पी. द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत से अंकेक्षण अवधि का रिकोर्ड प्राप्त किया जाता हैरिकोर्ड की जाँच की जाती है साथ ही योजना के कियानवन सम्बधित गतिविधिया का अंकेक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। जाँच दौरान पाई गई अनियमितताओं की एक रिपोर्ट निर्धानित प्रारुप में बना कर ग्राम सभा के दिन जाँच दल द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाती है। ग्राम सभा से अनुमोदित रिपोर्ट नरेगा सॉफ्ट/संबंधित योजना के पोर्टल/गूगल लिंक पर अपलोड की जाती ळें

7. 15वां वित्त आयोग योजना के सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य

15वां वित्त आयोग अनुदान का उद्देश्य :– पंचायतीराज संस्थानों द्वारा इन अनुदानों के उपयोग में सार्वजनिक जवाबदेही की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया ऑडिट अनुशासन की आवश्यकताओं के साथ लोगों की भागीदारी और निगरानी को जोड़ती है। यह एक तथ्य खोजने की प्रक्रिया है न कि दोष खोजने की प्रक्रिया।

यह एक बैलेंस शीट दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए (सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, भविष्य में जिन क्षेत्रों से बचना चाहिए और साथ ही गंभीर अनियमितताओं को सूचीबद्ध करना चाहिए। 15वां वित्त आयोग के उपयोग के सामाजिक लेखापरीक्षा के अन्य उद्देश्य पंचायतीराज संस्थानों द्वारा जारी अनुदानों में शामिल हैं:–

(i) 15वां वित्त आयोग अनुदान और उनके उपयोग के बारे में ग्रामीण नागरिकों के बीच सूचना प्रसारित करना और जागरूकता फैलाना।

(ii) 15वां वित्त आयोग अनुदान के उपयोग में शामिल प्राथमिक हितधारकों की क्षमता निर्माण।

(iii) समुदाय को बढ़ावा देना आधारित भागीदारी निगरानी प्रणाली।

(iv) पंचायतीराज संस्थानों द्वारा 15वां वित्त आयोग अनुदान के उपयोग की प्रभावशीलता को बढ़ाना।

(v) ग्राम सभा और सार्वजनिक सुनवाई (जनसुनवाई) जैसे सहयोगी प्लेटफार्मों की सुविधा के लिए जहां लाभार्थी, निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायतीराज संस्थानों के पदाधिकारी और अन्य हितधारक अपनी आवश्यकताओं, शिकायतों और मुद्दों को व्यक्त कर सकते हैं।

(vi) निर्धारित प्रक्रियाओं और रिसावों में विचलन को कम करके 15वां वित्त आयोग अनुदान के उपयोग को मजबूत करना।

(vii) शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाना।

8. 15वां वित्त आयोग योजना का सामाजिक अंकेक्षण

15वां वित्त आयोग योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में कुल 1803 ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के तहत करवाए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया ।

जिलेवार सामाजिक अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	अजमेर	325	170
2	अलवर	561	218
3	बांसवाड़ा	417	43
4	बारां	232	19
5	बाड़मेर	688	72
6	भरतपुर	400	141
7	भीलवाड़ा	397	148
8	बीकानेर	366	22
9	बूंदी	184	1
10	चित्तौड़गढ़	299	7
11	चुरु	304	10
12	दौसा	284	40
13	धौलपुर	188	0
14	डूंगरपुर	353	2
15	हनुमानगढ़	268	19
16	श्रीगंगानगर	344	74
17	जयपुर	585	15
18	जैसलमेर	205	0
19	जालौर	306	120
20	झालावाड	254	58
21	झुंझुनू	336	118
22	जोधपुर	619	105
23	करौली	241	95
24	कोटा	156	25
25	नागौर	497	41
26	पाली	339	0
27	प्रतापगढ़	234	0
28	राजसमंद	214	0
29	सवाई माधोपुर	226	123
30	सीकर	373	12
31	सिरोही	170	11
32	टोंक	236	6
33	उदयपुर	647	88
TOTAL	कुल योग	11249	1803

संभागवार सामाजिक अंकेक्षण की सूची

अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संभागवार संख्या

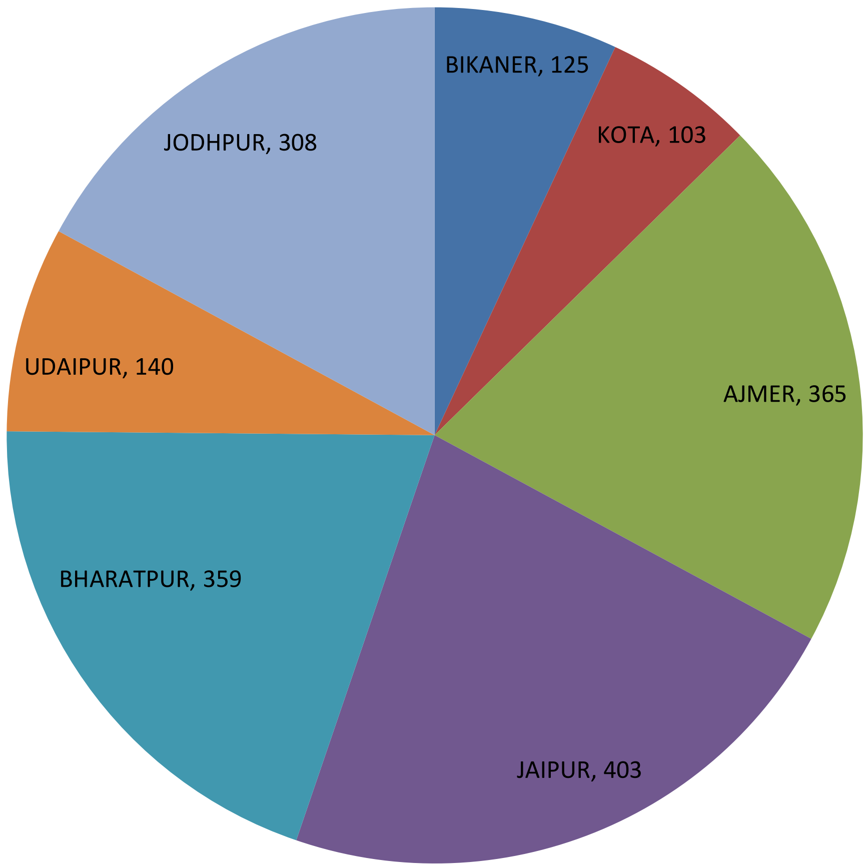

सामाजिक अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताएं

वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की अवधि में **1803 अंकेक्षण रिपोर्ट्स का विश्लेषण** किया गया और संलग्न प्रपत्र के अनुसार पंचायतवार निम्न अनियमितताएं पाई गई:–

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पाई गई अनियमितताएं
अजमेर	भिनाय	छछूंदरा	ग्राम पंचायत निर्मित नाला निर्माण की वर्तमान में सफाई की कमी पाई गई वह सीसी रोड की नालियों के पानी का प्रवाह सही रूप से नहीं पाया गया
	जवाजा	सरबीना	15वें वित्त आयोग के काम में सी सी ब्लॉक रोड का काम हुआ लेकिन पूरी रोड टूटी हुई मिली (जल जीवन मिशन के अंतर्गत)
	भिनाय	नांदसी	सीसी सड़क व नाली में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ है तथा सड़क जर्जर अवस्था में है
	जवाजा	शाहपुरा	नाली टूटी हुई मिली बीसलपुर लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई
	जवाजा	पारवरियावास	अंकेक्षण के दौरान नाली टूटी हुई मिली
अजमेर	भिनाय	देवलियाकला	सूचना बोर्ड नही पाया गया
अजमेर	भिनाय	भोखडी	सूचना बोर्ड नही पाया गया
भीलवाडा	आसींद	कालीपास	मोतीपुर रास्ते पर आरओ में लाइट व पानी सप्लाई की चैन सही नहीं है।
अलवर	नीमराणा	डावड़वास	1. 6 कार्यो पर एफ.एफ.सी. लोगो नहीं है। 2. गन्दे पानी हेतु सिविल लाईन–डावडवास में 10 ढक्कन नहीं है। अतः 10 ढक्कनों की राशि रू. 17000/– वसूली योग्य है। 3. नाली मरम्मत कार्य परमानन्द स्वामी के घर से कैप्टन हरि सिंह के घर की ओर डावडवास में सूचना पट्ट नहीं है। अतः 6 सूचना पट्टों की राशि रू. 15000/– वसूली योग्य है। 4. मुख्य बोर वेल से हरि सिंह चौहान के घर की ओर पानी की पाईप लाईन बिछाने का कार्य स्थल पर सूचना पट्ट नहीं है।
नागौर	कुचामन सिटी	नगावाड़ा	साफ सफाई का अभाव

	नवा	मारोठ	सूचना पट्ट का अभाव
सीकर	धौद	बाडलबास	ग्राम पंचायत मे प्राप्त व व्यय राशि मे अन्तर
		भीमा	पंचायत समिति से प्राप्त व व्यय राशि मे अन्तर
	दॉतारामगढ	बाय	1. ग्राम पंचायत मे प्राप्त व व्यय राशि मे अन्तर 2. एक फाईल की यूसी नही दी गई
	खण्डेला	अभावास	कार्य के लिए स्वीकृत राशि से अधिक व्यय 9880 रु की वसूली कर पंचायत कोष में जमा किया गया
		वरसिंहपुरा	कार्य के लिए स्वीकृत राशि राशि से अधिक व्यय 3412 रु की वसूली कर पंचायत कोष में जमा किया गया
	श्रीमाधोपुर	हॉसपुर	प्राप्त राशि से अधिक व्यय
		मूण्डरू	प्राप्त राशि और व्यय राशि मे अन्तर
झालावाड़	झालावाड़	नाहरगढ़	1. सूचना पट्ट का अभाव 2. उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं
	झालरापाटन	खांपुरिया	ग्राम विकास अधिकारी ने 6 लाख के बजट में से 4 लाख का नाला निर्माण बताया गया लेकिन भोतिक सत्यापन में नाला नहीं पाया गया
बाडमेर	चोहटन	ओटिया	सार्वजनिक टांका नागरिक सूचना बोर्ड का अभाव
	आडेल	आडेल	1. सभी कार्यो में गुणवता में कमी 2. नागरिक सूचना बोर्ड की कमी है।
	सिणधारी	सिणधारी चौसीरा	1. कार्यों की गुणवता में कमी 2. रिकोर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया।
	धानवा	मनावास	ग्राम पंचायत द्वारा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया।
झुझूनू	मंडावा	सिरियासर कला	सूचना पट्ट का अभाव

दौसा	बैजूपाडा	बालाहेडी	सामाजिक अंकेक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन में सूचना बोर्ड में अपूर्ण जानकारी थी ग्राम सभा में समय पर पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया है
		बडियाल कला	1. पेयजल टंकी मय सोखता गड्ढा मोहरपा संतोष सैनी के पास भगत की ढाणी धांधोलाई में ,सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ इस कार्य का भौतिक सत्यापन करने पर सोखता गड्ढा नहीं पाया गया 2. पेयजल टंकी मय सोखता गड्ढा सोहन लाल मेम्बर के पास गुदडा ढाणी धांधोलाई CFCC पेयजल टंकी में लीकेज होने के कारण पानी निकल जाता है, भौतिक सत्यापन करने पर टंकी के निचे दरार पाई गई 3. कूड़ेदान निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ भौतिक सत्यापन करने पर तारा सिंह वाली ढाणी नाम से दो कूड़ेदान (कचरा पात्र डालने के लिए) रखवाये गए जिसमें अनियमितता पाई गई की उसमे एक कूड़ेदान में रोड़ी भर रखी थी और दूसरा कूड़ेदान खाली पड़ा था
	बांदीकुई	अरनिया	सूचना बोर्ड होना चाहिए व सूचना पट्ट में कार्य से सम्बंधित पूर्ण जानकारी उपलब्ध होने के साथ साथ साफ साफ़ लिखा होना चाहिए
		खुंटला	कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड होना चाहिए व सूचना बोर्ड में साफ़ साफ़ लिखा भी होना चाहिए
		नन्देरा	कुछ कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी
		सोडाला	1. टंकी निर्माण गुर्जर ढाणी बासडा 2.टंकी निर्माण कार्य पुन्दरपाडा रोड पर 3. टंकी निर्माण बासडा ढाणी 4. टंकी निर्माण पंचायत भवन इन चारों कार्य की सी.सी नहीं मिली
		कोलवा	नाला निर्माण कार्य उपस्वास्थ्य केंद्र कोलवा से मुनीम के घर की ओर कोलवा कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड नहीं बना हुआ था और किसी भी कार्य की एमबी नहीं मिली

	बसवा	कौलाना	नोटिस बोर्ड का नहीं पाया गया , 6000 की अनियमितता पाई गयी
		पाडला	सा. अंके. दल के भौतिक सत्यापन के दौरान नोटिस बोर्ड का अभाव पाया गया